पेरिस समझौते के अंतर्गत BTR और BUR

स्रोत: TH

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) भारत की पहली **द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (Biannual Transparency Report- BTR)** का निष्पक्ष विशेषज्ञ मूल्यांकन करेगा, जिसे पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत किया जाना है।

- **BTR:** जलवायु कार्रवाई में खुलापन बढ़ाने के लिये, सरकारों को **पेरिस समझौते, 2015** के तहत प्रत्येक **दो वर्ष में BTR** प्रस्तुत करना आवश्यक है। सबसे कम विकसित देश (LDC) और छोटे द्वीप विकासशील राज्य (SIDS) इसे प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं।
  - ये रिपोर्टें **राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस (GHG) सूची, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और जलवायु अनुकूलन** उपायों पर प्रगति को संरेखित करती हैं।
- **BUR:** भारत ने पहले **द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (Biannual Update Reports- BUR) प्रस्तुत की**, जिसमें अंतिम रिपोर्ट 2024 (BUR-4) में 2020 तक के आँकड़ें शामिल हैं।
- **BUR 4 की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **भारत का गैस उत्सर्जन:** कार्बन डाइऑक्साइड (80.53%), मीथेन (13.32%), नाइट्रस ऑक्साइड (5.13%), और अन्य 1.02%।
  - **क्षेत्रवार उत्सर्जन:** ऊर्जा (75.66%), कृषि (13.72%), औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (IPPU) (8.06%), और अपशिष्ट (2.56%)।
  - **वन एवं वृक्ष आवरण:** 522 मिलियन टन (mt) CO_2 संग्रहित किया गया, जो वर्ष 2020 में देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में **22%** की कमी लाने के बराबर है।
  - **उत्सर्जन तीव्रता में कमी:** उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी (2005-2020), भारत वर्ष 2030 तक **45% की कमी** के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
    - वर्ष 2020 तक, **भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (LULUCF) को छोड़कर भारत का उत्सर्जन** 2,959 मीट्रिक टन **CO2e,** जबकि LULUCF को शामिल करते हुए, शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मीट्रिक टन CO2e था।

//

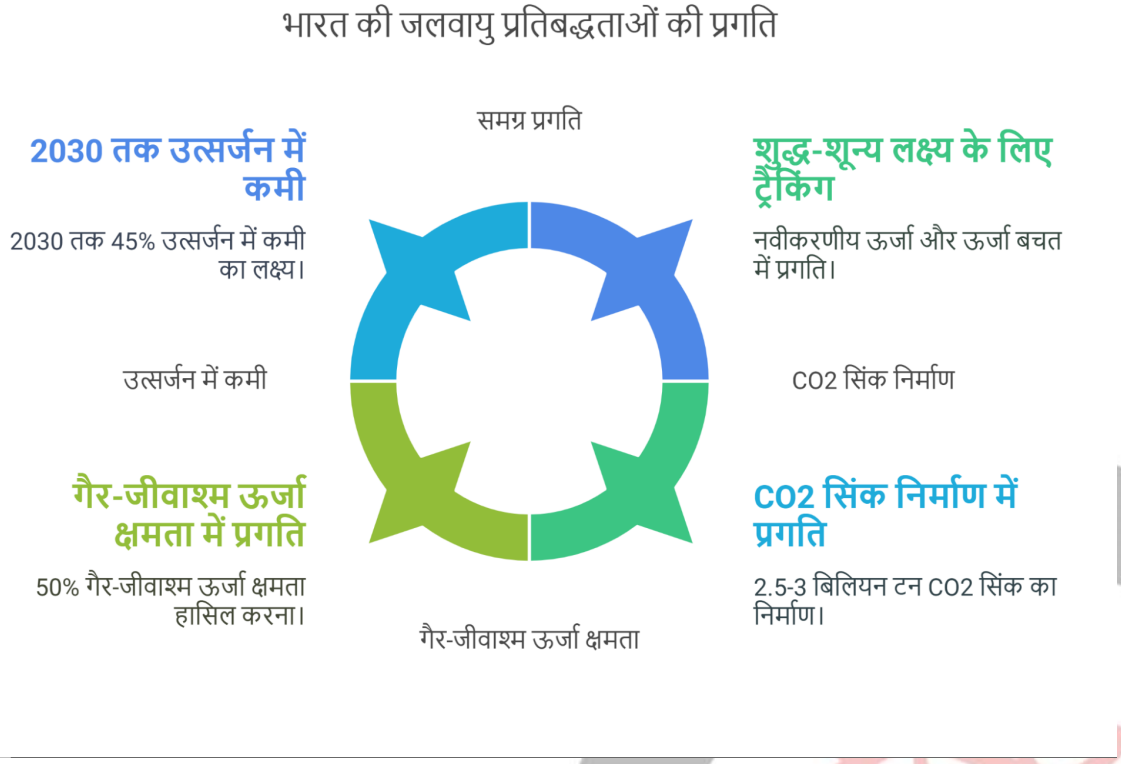

और पढ़ें: [WMO का ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन 2023]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/butter-and-burr-under-paris-agreement